



भारत में अंतर-समूह जाति आरक्षण

यह एडिटोरियल 13/03/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Intra-group caste variances, equality and the Court's gaze”](#) लेख पर आधारित है। इसमें इस विषय पर विचार किया गया है कि क्या राज्य सरकारें सार्वजनिक रोजगार भरती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित अनुपात के भीतर उप-वर्गीकरण का निर्माण कर सकती हैं। इसमें अन्य समूहों की तुलना में अधिक पछिड़े माने जाने वाले कुछ समूहों को विशेष भत्ता देना शामिल होगा।

प्रलिस के लिये:

[अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण](#), [मडगा समुदाय](#), न्यायमूर्ति पी. रामचन्द्र राजू आयोग, [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग](#), ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 2004, [अनुसूचित जाति \(SCs\)](#), [अनुसूचित जनजाति \(STs\)](#), उच्च स्तरीय समिति।

मेन्स के लिये:

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित अधिक विरोधाभास, इनके उप-वर्गीकरण के लाभ एवं संबंधित चुनौतियाँ।

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) की सात-न्यायाधीशों की पीठ '[पंजाब राज्य बनाम दवदिर सहि](#)' मामले में वधि के उस प्रश्न पर अपना निर्णय देगी, जो [संवधान](#) के अंतर्गत सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और आरक्षण के भविष्य के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सदिध होगी। अनुसंधान और आँकड़ों से संकेत मिलता है कि जबकि [अनुसूचित जाति \(SC\)](#) और [अनुसूचित जनजाति \(ST\)](#) को प्रायः सार्वभौमिक श्रेणियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन समूहों के भीतर उल्लेखनीय असमानताएँ मौजूद हैं, जहाँ कुछ जातियों को दूसरों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

क्या राज्य सरकारों को इन अंतर-समूह विधियों को संबोधित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये? दवदिर सहि मामले में आगामी निर्णय का उद्देश्य इसी मुद्दे को संबोधित करना होगा, जो संभावित रूप से एक ऐसे विधिक क्षेत्र में एक अत्यंत आवश्यक स्पष्टता लेकर आएगा जहाँ लंबे समय से सुधार की प्रतीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने सबसे पछिड़े समुदायों के लिये लाभ, योजनाओं और पहलों के समतामूलक वितरण के लिये एक पद्धति का मूल्यांकन एवं निर्माण करने के लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

पंजाब राज्य बनाम दवदिर सहि, 2020:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध एक अपील के रूप में लाया गया जहाँ उस राज्य वधि को नरिसूत कर दिया गया था जो सरकार को कोटा प्रदान करने के लिये SC/ST को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार सौंपता था।
- [उच्च न्यायालय](#) ने अपने निर्णय में पंजाब सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रावधान था कि SC के लिये आरक्षण सिटों में से 50% सीटें बालमीक और मज़हबी सखियों को प्रदान की जाएँगी।
- इस निर्णय में उच्च न्यायालय ने नषिकर्ष पर पहुँचने के लिये चिन्नैया निर्णय (Chinnaiah judgement) का सहारा लिया था।

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (Sub-Categorisation within Castes):

- परिचय:**
 - जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और [अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBCs\)](#) की मौजूदा श्रेणियों के भीतर उप-समूह के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
 - इस उप-वर्गीकरण का उद्देश्य अंतर-श्रेणी असमानताओं को संबोधित करना और समाज के सबसे वंचित और हाशिये पर स्थित वर्गों के बीच लाभ एवं अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
- उप-वर्गीकरण की वैधता:**
 - पूर्व के प्रयास:** पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पूर्व में उप-वर्गीकरण का प्रयास किया था जिन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे मामले सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के लिये लाए गए।
 - संवैधानिक दुविधा:** ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2004) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल [संसद](#) के पास SC एवं ST सूची का निर्माण करने तथा इसे अधिसूचित करने का अधिकार है।
 - पंजाब राज्य बनाम दवदिर सहि (2020) मामले** में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य पहले से अधिसूचित

SC/ST सूचियों में कोई 'छेड़छाड़' किये बिना लाभ की मात्रा पर नरिणय ले सकते हैं।

- वर्ष 2004 और वर्ष 2020 के नरिणयों के बीच वरिधाभास के कारण वर्ष 2020 के नरिणय को वरिचरण के लिये एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया।

उप-वर्गीकरण की राज्यों की शक्त के बारे में मत:

■ पक्ष में तरक:

- राज्यों के पास [अनुच्छेद 15\(4\) एवं 16\(4\)](#) और [अनुच्छेद 341\(1\) एवं 342\(1\)](#) के संदर्भ में SC/ST को आरक्षण लाभ देने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 15(4) राज्य को SC/ST जैसे समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देता है।
- जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये एक संवैधानिक अधिदेश एवं न्यायिक समर्थन मौजूद है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) यह अधिकार देता है कि राज्य SC/ST के पक्ष में पदोन्नतियों के मामलों में आरक्षण के लिये उपबंध कर सकता है, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 341(1) एवं 342(1) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों (या कुछ हस्सियों) को वनिरिदषिट कर सकेगा उस राज्य में SC एवं ST माना जाएगा।

■ वपिक्ष में तरक:

- चनिनैया नरिणय में पाँच नयायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2000 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह **संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करता है।**
- आंध्र प्रदेश के कानून में राष्ट्रपति की सूची से चार अलग-अलग श्रेणियों बनाने का प्रयास किया गया था और प्रत्येक श्रेणी को उसके पछिड़ेपन के आधार पर एक अलग कोटा प्रदान किया गया था।
 - न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास सूची के साथ छेड़छाड़ करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 341 के पाठ से यह स्पष्ट है कि ऐसा अधिकार केवल संसद के पास है।
 - नरिणय में राष्ट्रपति की वनिरिदषिट सूची के बचाव में **बी.आर. अंबेडकर** के भाषण की ओर भी संकेत किया गया, जहाँ उन्होंने चेतावनी दी थी कि **यदि राज्य सरकारों को सूची में संशोधन करने की अनुमति दी गई तो पूरी तरह से राजनीतिक विचारों के आधार पर इसके अभ्यास का जोखिम उत्पन्न होगा।**

कैबिनेट सचिव के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समितिका अधिदेश:

- समितिका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में वभिन्न SC समुदायों की शिकायतों के समाधान के लिये वैकल्पिक पद्धतियों का पता लगाना है।
- तेलंगाना के मडिगा (Madiga) समुदाय की चिताओं के जवाब में गठित की गई समितिका दायरा किसी एक समुदाय या राज्य से परे तक वसितुत है।
 - **मडिगा समुदाय का संघर्ष:** मडिगा समुदाय, जो तेलंगाना में अनुसूचित जातिके 50% भाग का नरिमाण करता है, को माला (Mala) समुदाय के प्रभुत्व के कारण अनुसूचित जातिके लिये मौजूद सरकारी लाभों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
 - मडिगा समुदाय की शिकायत है कि उनकी बड़ी आबादी के बावजूद उन्हें SC से संबंधित पहलों से अपवर्जित रखा गया है।
 - वे अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये वर्ष 1994 से संघर्ष कर रहे हैं और यही वह मांग थी जिसके कारण वर्ष 1996 में **न्यायमूर्ति पी. रामचन्द्र राजू आयोग का गठन किया गया और बाद में वर्ष 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ।**
- इसका उद्देश्य देश भर में 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों (जहाँ अपेक्षाकृत अगड़ों और प्रभुत्वशाली जातियों का वरचस्व है) के बीच सबसे पछिड़े समुदायों के लिये लाभ, योजनाओं एवं पहलों के समतामूलक वरिचरण के लिये एक पद्धतिका मूल्यांकन एवं नरिमाण करना है।

भारत में अनुसूचित जातिके उप-वर्गीकरण से संबंधित प्रमुख पहलू:

■ SC/ST की पहचान करना:

- संविधान में समता की प्राप्ति के लिये SC एवं ST के साथ विशेष व्यवहार का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उन जातियों और जनजातियों को नरिदषिट नहीं किया गया है जिन्हें SC एवं ST कहा जाएगा।
- **अनुच्छेद 341** के तहत यह शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका (जसिका प्रधान **राष्ट्रपति** है) को सौंपी गई है:
 - अनुच्छेद 341 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC एवं ST के रूप में जाना जाएगा। किसी एक राज्य में अनुसूचित जातिके रूप में अधिसूचित कोई जातिकिसी अन्य राज्य में अनुसूचित जाति नहीं भी हो सकती है।

■ उप-वर्गीकरण के पक्ष में तरक:

- चूँकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह समुदाय के वंचित वर्ग की मुक्ति और असमानताओं को दूर करने का दायित्व रखता है।
 - जब आरक्षण स्वयं आरक्षित जातियों के बीच असमानता उत्पन्न कर रही हो फरि यह दायित्व राज्य पर आता है कि वह उप-वर्गीकरण करे और एक **वतिरणात्मक न्याय** पद्धति अपनाए ताकि राज्य के संसाधन कुछ हाथों में संकेंद्रित न हों तथा सभी को समान न्याय प्रदान किया जा सके।
- यदि उप-वर्गीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तो यह असमान को समान मानते हुए (unequal as equal) समता के अधिकार को पराजित करेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों की सूची में असमान जातियाँ मौजूद हैं।
- वभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह का गठन नहीं करते हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता को कई रिपोर्टों में रेखांकित किया गया है और इसे संबोधित करने के लिये विशेष कोटा तैयार किया गया है:

- न्यायमूर्त शिमचंद्र राजू आयोग, 1997 ने अनुसूचित जातों को चार समूहों में विभाजित करने और प्रत्येक के लिये अलग-अलग आरक्षण आवंटित करने की अनुशंसा की।
- आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि अनुसूचित जातों के 'क्रीमी लेयर' को सार्वजनिक न्युक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किसी भी आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाए।
- **उप-वर्गीकरण के विषय में तर्क:**
 - प्रमुख तर्क यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ेपन का परीक्षण या आवश्यकता अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजातों पर लागू नहीं की जा सकती।
 - असंप्रयुक्तता (untouchability) के कारण अनुसूचित जातों को विशेष उपचार दिया जाता है, जिससे वे सदियों से पीड़ित रहे हैं।
 - वर्ष 1976 में एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं माना था कि अनुसूचित जातों को जाति नहीं है बल्कि वे एक वर्ग हैं और इसलिये उन्हें एक वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिये।
 - उप-वर्गीकरण का उपयोग SC/ST के बीच इधर-उधर के वोट-बैंक को खुश करने के लिये किया जाएगा और इस प्रकार सामाजिक न्याय का राजनीतिकरण हो जाएगा।

पंजाब में SCs के उप-वर्गीकरण पर कानूनी संघर्ष का घटनाक्रम

- **वर्ष 1975:**
 - पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए अपने 25% SC आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया। यह किसी राज्य द्वारा मौजूदा आरक्षण को 'उप-वर्गीकृत' किये जाने का पहला उदाहरण था।
 - हालाँकि यह अधिसूचना लगभग 30 वर्षों तक लागू रही, वर्ष 2004 में यह कानूनी बाधाओं का शिकार हुई।
- **वर्ष 2004:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नेया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में समता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जातों (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को रद्द कर दिया और इस बात पर बल दिया कि SCs को एक एकल, सजातीय समूह के रूप में देखा जाना चाहिये।
 - बाद में डॉ. कशिन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नेया नरिणय का समर्थन करते हुए वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
- **वर्ष 2006:**
 - पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जातों और पछिड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के माध्यम से उप-वर्गीकरण को फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वर्ष 2010 में इसे नरिस्त कर दिया गया।
- **वर्ष 2014:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ई.वी. चिन्नेया नरिणय की यथातथ्यता (correctness) पर सवाल उठाते हुए मामले को पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ के पास विचारण के लिये भेजा।
- **वर्ष 2020:**
 - संवधान पीठ ने माना कि वर्ष 2004 के नरिणय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; इसने SCs के एक सजातीय समूह होने के विचार को खारज कर दिया गया और सूची के भीतर 'असमान' (unequal) के असतत्त्व को स्वीकार किया।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SCs/STs के लिये 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा की भी सफ़िराशि की गई।
- **वर्तमान समय:**
 - सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है क्योंकि केवल बड़ी पीठ का नरिणय ही छोटी पीठ के नरिणय पर हावी हो सकता है।
 - उप-वर्गीकरण विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों को प्रभावित करेगा, जिनमें पंजाब में बाल्मीक एवं मज़हबी सखि, आंध्र प्रदेश में मडगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमलिनाडु में अरुंधतियार शामिल हैं।

द्विदि सहि मामले के विभिन्न घटनाक्रम

- **इंद्रा साहनी फैसले से संकेत ग्रहण करना:** मौजूदा दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले (जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ मामला था) में लिये गए अपने नरिणय का हवाला दिया।
 - उस मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि सरकार के अधीन सेवाओं के लिये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों (OBCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है।
- **के.सी. वसंत कुमार (1985) मामले के नरिणय का समर्थन:** न्यायाधीशों के बहुमत ने के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य (1985) मामले में न्यायमूर्त चिन्नाप्पा रेड्डी के नरिणय का समर्थन किया। इस मामले में न्यायमूर्त रेड्डी ने नरिणय दिया था कि जबकि उप-वर्गीकरण करने का औचित्य प्रत्येक मामले के तथ्यों पर नरिभर हो सकता है, लेकिन:
 - न्यायालय यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से पछिड़े वर्गों और अधिक पछिड़े वर्गों में वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है, यदि दोनों वर्ग न केवल कुछ पीछे हैं, बल्कि सबसे अगड़े वर्गों से बहुत पीछे हैं।
 - वास्तव में अधिक पछिड़े वर्गों की सहायता करने के लिये ऐसा वर्गीकरण आवश्यक होगा; अन्यथा पछिड़े वर्गों के वे लोग, जो अधिक पछिड़े वर्गों की तुलना में कुछ अधिक उन्नत हों, सभी सीटें जीत सकते हैं।
 - यदि आरक्षण अधिक पछिड़े वर्गों के लिये चिंतित है और कुछ अधिक उन्नत पछिड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं किया गया, तो सबसे उन्नत वर्ग सामान्य वर्ग के लिये उपलब्ध सभी सीटें जीत लेंगे और पछिड़े वर्गों के लिये कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे।

विभिन्न जातिसमूहों को उप-वर्गीकृत करने के लिये विभिन्न सुझाव:

■ वास्तविक समता का वादा सुनिश्चित करना:

- मामले की जड़ में संविधान की समता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता है। अनुच्छेद 14 से 16 में (जन्हें एक साथ संहिता के रूप में पढ़ा जा सकता है) वास्तविक समता का वादा किया गया है।
 - समता की यह गारंटी मानती है कि भारत के इतिहास में व्यक्तियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है।
- इसलिये, हमारी संवैधानिक दृष्टि यह मांग रखती है कि हम समान व्यवहार सुनिश्चित करने के प्रयास में समूह हितों के प्रति सचेत रहें।
 - इस मॉडल के तहत, आरक्षण को समता की मूल धारणा के साथ टकराव में और इसके अपवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि इसके बजाय उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने और सुदृढ़ करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिये।

■ राज्य सरकारों की भूमिका को स्वीकार करना:

- केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1975) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया है कि सरकारों के पास न केवल आरक्षण प्रदान करने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की शक्ति है, बल्कि गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने का सकारात्मक कर्तव्य भी है।
- इस दृष्टिकोण से, यद्यपि पंजाब सरकार को अपने अध्ययनों के आधार पर यह लगता है कि आरक्षण के उसके मौजूदा उपाय बाल्मीक और मज़हबी सखियों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचे हैं तो वह यह सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य है कि इन उपायों में सुधार किया जाए।

■ अनुच्छेद 341 की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता:

- यद्यपि अनुच्छेद 341 को उप-वर्गीकरण के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में देखा जाता है तो यह नषिध संविधान की समता संहिता के विरुद्ध जाएगा। वैसे भी, सीधे तौर पर पढ़ने पर भी, अनुच्छेद 341 इस तरह का कोई नषिध नहीं लगाता है।
 - यह केवल राज्य सरकारों को राष्ट्रपति की अनुसूचि जातियों की सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर करने से रोकता है।
- यदि राज्य इस सूची में शामिल कुछ जातियों को विशेष उपाय प्रदान करते हैं, तो इसे अन्य जातियों को सूची में शामिल करने या बाहर करने का कृत्य नहीं माना जा सकता।
 - वे जातियों राज्य के सामान्य आरक्षण प्रावधानों की हकदार बनी रहेंगी।

■ युक्तियुक्त वर्गीकरण का पालन करना:

- पंजाब के कानून के मामले में देखें तो यह नषिध रूप से राष्ट्रपति की सूची को संशोधित नहीं करता है। यह केवल बाल्मीक और मज़हबी सखियों को अधिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिये सूची के भीतर अपेक्षाकृत अधिक पछिड़ेपन को संबोधित करना चाहता है।
- यह उप-वर्गीकरण संविधान के उस समय-सिद्ध सिद्धांत के अनुरूप है जहाँ समता सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति है।

■ उप-वर्गीकरण को उसके अपने गुणों (मेरिट) के आधार पर आँकना:

- यदि SC और ST की सूचियों को समरूप/सजातीय श्रेणियों के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि विकास के विभिन्न स्तरों पर मौजूद विभिन्न जातियों की सूची के रूप में देखा जाए तो फिर उप-वर्गीकरण को उसके गुणों के आधार पर आँकना होगा।
- अर्थात्, न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होगा कि क्या बाल्मीक एवं मज़हबी सखि राष्ट्रपति की सूची के भीतर अन्य जातियों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और उन्हें अधिमान्य उपचार प्रदान करना तथा इस तरह के अनुदान की सीमा उपयुक्त उपचार सुनिश्चित करने के कानून के बड़े उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखती है या नहीं।

नषिकरष:

उच्चस्तरीय समिति की अंतरदृष्टि के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ का आगामी निर्णय अनुसूचि जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एन.एम. थॉमस मामले में इसके द्वारा मान्य दृष्टि को गंभीरता से ले कि सरकारों के पास न केवल आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी है कि समता का संवैधानिक स्वप्न साकार किया जाए।

इस दृष्टिकोण से, SC/ST के भीतर भेदभाव की सर्वाधिक शक्ति जातियों के लिये विशेष उपाय प्रदान करने के राज्यों में नहि कसि भी अधिकार को समान अवसर के विचार को साकार करने के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: अनुसूचि जातियों का उप-वर्गीकरण सामाजिक कल्याण नीतियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करता है? भारतीय संदर्भ में उदाहरण सहित चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियाँ पर वचिर कीजयि: (2023)

1. राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय वधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग

उपर्युक्त में से कतिने सांविधानिक नकियाय हैं?

(a) केवल एक

- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2014)

1. वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं ।
2. वे पश्मीना बकरयिों को पालते हैं जनिसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है ।
3. इन्हें अनुसूचति जनजात की श्रेणी में रखा गया है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचति जनजातयिों (STs) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लयि राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिकि पहलें क्या हैं? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/intra-group-caste-reservation-in-india>

